न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द आर.ए.एस.

मिनुअल प्र.सं. : 15 / 2024
डीसीएमएस : 2024 / 141

1. निहालचन्द पुत्र श्री ठाकरराम जाति बिश्नोई साकिन 6 एम.एस.डी. ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजाराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति नाई साकिन 6 एम.एस.डी. ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र श्री आशाराम जाति नायक साकिन 1 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर राज.।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू– 21.10.2022

स्थित अधिवक्ता:–
1. श्री राजाराम धारणिया प्रार्थी अधि.।
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं ।

—निर्णय—

दिनांक 25.04.2025

1 संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इनकी वाके चक 6 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 45 / 42 मु.नं. 64 पं.नं. 162 / 323 में 1.265 है. कमाण्ड भय खाता व मु.नं. 87 पं.नं. 163 / 325 में 1.550 है. कमाण्ड भूमि कुल 2.815 है. कमाण्ड भय खाता भूमि प्रार्थी संख्या 1 निहालचन्द की खातेदारी है तथा इस मु.नं. 87 में रिहायशी ढाणी है तथा इसके कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ता है जो रास्ता मालकसर माईनर के उत्तर में रेल अण्डरपास से चक 6 एम.एस.डी. के मु.नं. 6 के कि.नं. 1 तक जाता है तथा इसी तरह इसी चक का खाता संख्या 30 / 22 मु.नं. 42 पं.नं. 161 / 331 में 6.199 है. कमाण्ड / अ.क. भूमि व मु.नं. 56 पं.नं. 163 / 329 में 6.199 है. कमाण्ड भय खाता कुल तादादी 12.398 है कमाण्ड / अ.क. / खाता खातेदारी भूमि में 1 / 5 हिस्सा तादादी 2.479 है प्रार्थी संख्या 2 राजाराम के नाम से खातेदारी भूमि है तथा मु.नं. 42 में ढाणी में रिहायश है इस मु.नं. 42 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में स्वीकृत रास्ता है यह रास्ता मालकसर माईनर के उत्तर में रेल अण्डरपास से इसी चक के मु.नं. 6 के कि.नं. 1 तक जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 6 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 पं.नं. 158 / 328 में 5.945 है. अनकमाण्ड भूमि है तथा इसी चक का मु.नं. 6 पं.नं. 159 / 328 रकबाराज है इस मुरबा नं. 7 के उत्तर में स्थित हुए चक करड़वाली बारानी के मु.नं. 98 में आबादी करड़वाली है तथा मु.नं. 98 के कि.नं. 21 ता 25 में आबादी [illegible] है आबादी की 13.6 मी. अर्थात रास्ता को चक 6 एम[illegible] मु.नं. 6 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में स्वीकृ[illegible] लिए मु.नं. 6 के कि.नं. 1 ता 5 में रास्ता [illegible] करवाना [illegible] यह रकबा राज है तथा अनकमाण्ड है लम्बे [illegible] में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थी संख्या [illegible] में एक मदठा अर्थात 16.5 इन्टू 16.5 फुट रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है ताकि आगे यह रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:36 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

मु.नं. 6 के कि.नं. 1 में स्वीकृत रास्ता से जुड़ सके। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 6 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 7 पं.नं. 158/328 में 5.945 है. अनकमाण्ड भूमि है तथा इसी चक का मु.नं. 6 पं.नं. 159/328 रकबाराज है इस मुरब्बा नं. 7 के उत्तर में चिपते हुए चक करड़वाली बारानी के मु.नं. 98 मे आबादी करड़वाली है तथा मु.नं. 98 के कि.नं. 21 ता 25 में आबादी की फिरनी अर्थात रास्ता स्वीकृत है आबादी की फिरनी अर्थात रास्ता को चक 6 एम.एस.डी. के मु.नं. 6 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में स्वीकृत व चालू रास्ता से जोड़े जाने के लिए मु.नं. 6 के कि.नं. 1 ता 5 में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है यह रकबा राज है तथा अनकामण्ड है लम्बे समय से यह रास्ता चालू है इस रास्ता में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के मु.नं. 7 के कि.नं. 1 में एक गट्ठा अर्थात 16.5 इन्टु 16.5 फुट रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है ताकि आगे यह रास्ता मु.नं. 6 के कि.नं. 1 में स्वीकृत रास्ता से जुड़ सके रास्ता स्वीकृति सार्वजनिक हितार्थ है तथा रकबाराज की भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में चाहे गए एक गट्ठा जगह की बाबत डीएलसी दर मुताबिक कोई राशि जमा करवाने का आदेश दिया जावेगा राशि जमा करवा दी जावेगी।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 एवं प्रार्थीगण दिनांक17.12.2024 को स्वयं उपस्थित हो कर फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर कर सहमति पत्र व अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र व सहमति पत्र में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में पंचायत ने लोक अदालत की प्रेरणा से वाहमी राजीनामा करवा दिया है जिस राजनीमा के मुताबिक मै. अप्रार्थी संख्या 1 अपनी खातेदारी भूमि चक 6 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 7 के कि.नं. 1 में एक गटठा 16.5 फुट जगह में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसमें मुझ अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्ण सहमति है मुझ अप्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि में यह जगह बिना प्रतिफल के रास्ता हेतु दी है। जिसमें मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा मेरे सभी वारिसान की पूर्ण सहमति हैं लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त राजीनामां के जरिये चक 6 एम.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 7 के कि.नं. 1 में एक गटठा 16.5 इन्टू 16.5 फुट जगह में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसमें पक्षकारान की पूर्ण सहमति है राजीनामा के जरिये रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1148 दिनांक 22.07.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण के नाम चक 6 एम.एस.डी. खाता संख्या 44 पं.नं. 163/335 मु.नं. 87 के कि.नं. 1–2–9–10–11–12 व 13/1 व खाता संख्या 45 मु.नं. 87 के कि.नं. 13/4, 18 ता 20, 21/1 से 23/1 उक्त दोनो खातों में कुल रकबा 3.100 है नहरी भूमि निहालचन्द्र पुत्र ठाकरराम जाति बिश्नोई साकिन 6 एम.एस.डी. खातेदार व चक 6 एमएसडी के खाता संख्या 30 मु.नं. 42 व 16 की कुल 13.398 है. भूमि राजाराम पुत्र ख्यालीराम [illegible] जाति नाई साकिन करड़वाली बगैरा के नाम संयुक्त खाता में [illegible] है। प्रार्थीगण ने चक 6 एमएसडी में पूर्व में स्वीकृ[illegible] रास्ता मु.न. 6 [illegible] कि.न. 1 को आगे बढ़ाते हुए करड़वाली गांव से जो[illegible] कि.नं. 1 ता 5 में दो–दो बिस्वा व मु.नं. 7 [illegible] 16.5 वर्ग फीट रास्ता की मांग की है। मुताबिक फर्द मौका और नजरी नक्शा के प्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:36 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

मु.नं. 87 के रकबा से प्रार्थी संख्या 2 राजाराम बगैरा के मु.नं. 42 तक एवं उससे आगे इसी चक मु.नं. 28, 14, 4, 5 से होते हुए रास्ता चक 6 एमएमडी के मु.नं. 6 तक पहुंचता है एवं मु.नं. 6 के कि.नं. 1 से होते हुए उक्त रास्ता इसी चक मु.नं. 12–30–40–47 व 61 से होकर मु.नं. 68 के कि.नं. 21 तक जाता है एवं इसी मु.नं. 68 के कि.नं. 21 से होकर मु.नं. 68–69 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में से होते हुए करड़वाली–जैतसर पक्की सड़क से मिलान होता है और रास्ता चालू है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यक श्रेणी में नहीं है जबकि केवल आवागमन की सुविधा और निकटतम दूरी के हिसाब से है। पूर्व में स्वीकृतशुद्धा रास्ते का मुख्य सड़क से मिलान हो रहा हैं अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

4. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया और प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के तहत दिनांक 17.12.2024 को प्रस्तुत सहमति राजीनामा के आधार पर रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने मु.नं. 7 के कि.नं.1 मे 16.5 गुणा 16.5 रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति दी।

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं है। जबकि केवल आवागमन की सुविधा ओर निकटतम दूरी के हिसाब से है पूर्व में स्वीकृत शुद्धा रास्ते का मुख्य सड़क से मिलान के लिए स्वीकृत करवाया जा रहा है अतः उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं हैं पीठासीन अधिकारी के स्वयं निरीक्षण से भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए इस रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है इस रास्ता का उपयोग प्रार्थीगण की जोत में आने–जाने हेतु नहीं हो रहा है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत स्वीकार करना न्यायसंगत नहीं है उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित हैं।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आने पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:36 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

AnyScanner